समाचार–प्रकाशनार्थ :–

बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने ही संस्थान में कचरे का निष्पादन करने की दी समझाईश
होटल, मैरिज गार्डन संचालकों की कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने ली बैठक

रतलाम 10 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शहर की होटले, प्रतिष्ठान, मैरिज गार्डन, कार्यालय इत्यादि स्वच्छ रहे, ज्यादा मात्रा में कचरा प्रोड्यूस करने वाले होटल, संस्थान, प्रतिष्ठान आदि अपना कचरा निष्पादन स्वयं करें। इसके लिए एक बैठक कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। इसके अलावा शहर के मैरिज गार्डन संचालक, होटल प्रतिष्ठान संचालक विशेष रुप से बैठक में बुलाए गए थे।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि प्रशासन द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर को सुंदर वातावरण देने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं, इसके तहत सबसे स्वच्छ कौन प्रतियोगिता विभिन्न कार्यालयों, होटल प्रतिष्ठानों, मैरिज गार्डन इत्यादि के मध्य आयोजित की जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसा कि इंदौर में होटल्स के मध्य कंपटीशन आयोजित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे होटल की रैंकिंग बढ़ने से व्यावसायिक दृष्टि से भी होटल प्रतिष्ठान को फायदा होगा।

कलेक्टर ने ज्यादा मात्रा में कचरा उत्सर्जित करने वाले होटल्स तथा अन्य संस्थानों के संचालकों से कहा कि वे अपने स्तर पर कचरा निष्पादन की व्यवस्था करें जैसा कि इंदौर में किया जा रहा है। संस्था, होटल अपने परिसर मं कंपोस्ट खाद बनाने की व्यवस्था कर सकती है और उसका विक्रय किया जा सकता है। कलेक्टर ने पॉलीथिन के उपयोग को हतोत्साहित करने का भी आग्रह किया। कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छता के पैरामीटर्स पर खरा उतरने तथा स्वच्छ कंपटीशन तैयारी के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है।

बैठक में नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 14420 के बारे में भी बताया गया जिस पर कॉल करके सेप्टिक टैंक तथा सफाई संबंधी समस्या की जानकारी दी जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। नगर निगम द्वारा 24 घंटे में समाधान किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप की जानकारी भो दी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन संस्थानों द्वारा स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरा जाएगा उनको नगर निगम के संपत्ति कर में भी छूट दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि ज्यादा मात्रा में कचरा उत्पादित करने वालों के यहां पर कचरा एकत्र करने हेतु नगर निगम द्वारा एक वाहन विशेष की व्यवस्था की जाएगी जो सिर्फ ज्यादा मात्रा में कचरा प्रोड्यूस करने वालों के यहां पहुंचेगा और कचरा एकत्र करेगा। बैठक में बताया गया कि होटलों तथा रेस्टोरेंट में स्वच्छ्ता संबंधी मूलभूत सुविधा तथा पैरामीटर्स पर नंबर दिए जाएंगे। इसके तहत होटल में 4 डस्टबिन रखने पर 30 नंबर, होटल से निकलने वाले गीले कचरे को होटल परिसर में ही प्रसंस्करण करने पर 40 नंबर, कोविड से संबंधित सुरक्षा अपनाने पर 40 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित वाल पेंटिंग करवाने पर 40 नंबर, होटल को प्लास्टिक मुक्त एवं पॉलीथीन मुक्त बनाने पर 40 नंबर मिलेंगे, इसी तरह कई और बिंदुओं पर अलग–अलग नंबर दिए जाएंगे। सभी होटल मालिकों को निर्धारित समय देकर प्रतियोगिता

की तैयारी करने के लिए कहा गया। कुल 17 मापदण्डों के 565 नंबर में से सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले होटल को स्वच्छ होटल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

मुखर्जी नगर का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मुखर्जी नगर का निरीक्षण पूर्व पार्षद प्रतिनिधि श्री मनोज शर्मा, श्री मयूर पुरोहित के साथ क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर सड़क, उद्यान बाउण्ड्रीवॉल, नाले का स्लैब व रैलिंग लगाये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया को निरीक्षण के दौरान मुखर्जी नगर उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल का एस्टीमेट बनाने, समीप ही नाले पर निर्मित स्लेब की चौड़ाई कम होने स्लेब चौड़ा करने, सुरक्षा की दृष्टि से नाले के आसपास दीवार बनाने व स्लैब पर रेलिंग लगाने व स्वीकृत सड़कों के सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये।

मुखर्जी नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लेट बिल्डिंग के सामने स्थित उद्यान में औषधीय पौधो का रोपण करने निर्देश संबंधित को दिये साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को स्वंय स्व सहायता समूह बनाने हेतु प्रेरित किया।

56 अनुपस्थित सफाई मित्रों का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त व निलंबन का दिया कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 56 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में रानीबाई पति आजाद, जितेन्द्र–छोटेलाल, मोहन–मांगीलाल, शांतिलाल–बाबुलाल, विमलाबाई पति रघुवीर, विजय–शांतिलाल, पुष्पाबाई पति प्रहलाद, बरखाबाई पति सुरेश, बबीताबाई पति सतीश, उमेश–प्रहलाद, बादल–दिलीप, राकेश–रतनलाल, अजय–विनोद, विक्की–दिनेश, लखन–दीपक, अशोक–अर्जून, संजय–बालू, सुनील–शंकरलाल, बेबीबाई पति अर्जुन, मंगलाबाई पति बाबुलाल, बसंतीबाई पति किशन, रानीबाई पति श्यामलाल, लताबाई पति विजय, रामकुमार–बच्चेराम, अनुप–धन्नालाल, मीनाबाई पति मनोज, श्रद्धाबाई पति दिनेश, रमेश–राजेन्द्र कुल 28, झोन क्रमांक 2 में धनराज–बसंत, विक्रम–रामलाल, रघुवीर–पुनमचन्द, रंजनाबाई पति सुरेश, सोमदीप–सुरेश, सुनील–श्यामलाल, संगीताबाई पति हरीश, बिहारी–आनन्द, चेतन–सुरेश, महेन्द्र–नेहरू, राहूल–राजू, शकुन्तलाबाई पति अर्जून, अनिताबाई पति दीपक कुल 13, झोन क्रमांक 3 सोनूबाई पति राकेश, अशोक–मांगीलाल, संगीताबाई पति राजू, नज्जाबाई पति कचरू, बिंदिया पति अमर, जितेन्द्र–प्रकाश, चन्दन–नजीर, अशोक–मांगीलाल, झोन क्रमांक 4 में सुनील–रमेश, अजय–शिवलाल, सीमाबाई पति किशोर, उषाबाई पति मुकेश, तेजुबाई पति किशोर, श्यामाबाई पति जगदीश व कैलाश–बच्चुलाल कुल 7 इस तरह 56 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया

के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

भवन निर्माण सामग्री से अतिक्रमण करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बाउण्ड्री के पास व सड़के दुसरी ओर भवन निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण व गंदगी करने पर अशोक पांचाल व जसवंतसिंह पर 500–500 रूपये का जुर्माना कर निर्माण सामग्री को जब्त किया गया।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित
रघु प्लॉस्टिक उद्योग पर 11 हजार का किया जुर्माना

रतलाम 10 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूणतः प्रतिबंधित किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में रघु प्लॉस्टिक उद्योग रघु–पन्नालाल सोलंकी पर कार्यवाही करते हुए 75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन जब्त कर 11 हजार का जुर्माना किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 9.79 लाख हुआ राजस्व प्राप्त
शैरानीपुरा क्षेत्र से 4 अवैध नल कनेक्शन विच्छेद

रतलाम 10 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकां द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 फरवरी मंगलवार को कुल राशि रूपये 9,79,834/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 10 फरवरी गुरूवार को संपत्तिकर शिविर से 87741, कार्यालय 119773, वसूली दल 129530 कुल 287044, जलकर शिविर 37140, कार्यालय 139850, वसूली दल 120470 कुल 297460, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 29440 व वसूली दल 19627 कुल 49067, लीजरेंट 36410, कम्पाउडिंग 304963, लायसेंस 4890 इस तरह कुल राशि रूपये 9,79,834/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा शैरानीपुरा क्षेत्र में 4 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

उपयंत्री श्री अनवर कुरेशी का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 10 फरवरो । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निदशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की यूएडी की विडियो कॉन्फ्रेंस में उपयंत्री श्री अनवर कुरेशी द्वारा अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

पैलेस रोड तिराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 70.6 लाख व जलकर 16.68 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 10 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/– व जलकर 1,67,280/–, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/– व जलकर 76,625/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/– व जलकर 37,520/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/– व जलकर 72,860/–, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/– व जलकर 37,140/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये

21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

10 फरवरी को 1.50 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 10 फरवरी गुरूवार को 1.50 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

10 फरवरी गुरूवार को डम्पर से 14055, ट्रेक्टर से 22550, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16795, काम्पेक्टर गीला कचरा 13860, डम्पर नाला मलबा 80655, मैजिक सूखा 1290 व मैजिक गीला 1505 किलो इस तरह कुल 150710 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

28 फरवरी तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 10 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 10 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगो।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 10 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरोके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 10.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.